हिमाचल लोक सेवा आयोग

प्रैस विज्ञप्ति

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 4 जुलाई 2023 को छपी खबर '**सीएम के नाम गुमनाम पत्र, लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों पर पेपर लीक करने का आरोप** और '**पत्र में लोक सेवा आयोग में प्रश्न पत्र बेचने का आरोप**' शीर्षकों से छपे समाचार का कड़ा सज्ञांन लेते हुए, आयोग की विशेष बैठक का आयोजन आज दिनांक 4 जुलाई, 2023 को किया गया।

हि. प्र. लोक सेवा आयोग ने पाया कि कुछ हिन्दी दैनिक समाचारों में छपे समाचार बिना छानबीन, बिना प्रमाण एक गुप्त पत्र, **जिस में शिकायत कर्त्ताओं का पता तक नहीं लिखा है,** को आधार बना कर छापा गया है और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि एक सवैंधानिक संस्था है, की छवी को खराब करने का जानबुझकर प्रयास किया गया है जिस की लोक सेवा आयोग भर्त्सना करता है। ऐसी तथ्यहीन समाचारों के छपने से आम जनता और प्रत्याशियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अतः आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के तथ्यहीन, अप्रमाणित और बिना छानबीन के खबरों की पुर्नवृति को रोकने के लिए उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। आयोग तथ्यों पर आधारित किसी भी आरोप की स्वंय तथा किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने को हमेशा तैयार है।

उपरोक्त दैनिक समाचार पत्रों द्वारा तथ्यहीन तथा बिना छानबीन के समाचार प्रकाशित करके अव्यवसायिक पत्रकारिता का प्रमाण दिया हैं। यहां तक की एक समाचार पत्र ने इस गुमनाम पत्र को अपने समाचार पत्र की वेबसाइट पर भी डाला था जिसमें आयोग के कुछ कर्मचारियों के व्यक्तिगत चरित्र पर तथ्यहीन आरोप लगाए गए थे जिन्हें बिना किसी प्रमाण के एक गुमनाम पत्र के आधार पर प्रकाशित करना व्यक्तिगत चरित्र हनन है। आयोग इस प्रकार की पत्रकारिता की घोर निंदा करता है।

लोक सेवा आयोग, लोकतंत्र के चौथे स्तभं, सभी समाचार पत्रों व मीडिया चैनलों से अपेक्षा व अनुरोध करता है कि किसी भी समाचार को छापने/प्रसारित करने से पहले ऐसे गुमनाम पत्रों/फर्जी दावों की वास्तविक्ता को सत्यापित अवश्य कर लें।

सचिव
हि. प्र. लोक सेवा आयोग